(5)

संख्याः– 451/xx-1/11–53ब./11

प्रेषक,

राजीव गुप्ता,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक,
उत्तराखण्ड, देहरादून

गृह अनुभाग–1 देहरादूनः दिनांकः– 7 अप्रैल, 2011

विषयः–वित्तीय वर्ष 2011–2012 में वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या–209/XXVII(1)/2011 दिनांक 31 मार्च, 2011 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि गृह विभाग के अन्तर्गत संचालित विभिन्न अधिष्ठानों हेतु वचनबद्ध मदों यथा वेतन, मजदूरी, महंगाई भत्ता, अन्य भत्ते, विद्युत देय, जलकर एवं किराया मद में आवश्यक व्ययो का भुगतान सुनिश्चित किये जाने हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष 2011–2012 में आयोजनेत्तर पक्ष के अन्तर्गत संलग्न परिशिष्ट, के अनुसार मदवार कुल रूपये 588.4645 करोड़ (रूपये पॉच अरब अठ्ठासी करोड़ छियालीस लाख पैतालीस हजार मात्र) की धनराशि आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2– आयोजनेत्तर पक्ष की अन्य मदों के सम्बन्ध मे त्रैमास आधार पर किश्तों मे बजट प्राविधान के चतुर्थ अंश की धनराशि अथवा सम्बन्धित त्रैमास हेतु वास्तविक रूप से आवश्यक धनराशि, जो भी कम हो, की मांग, मदवार विस्तृत विवरण एवं औचित्यपूर्ण प्रस्ताव सहित यथाशीध्र शासन को उपलब्ध कराई जायेगी।

3– बजट प्राविधान से अधिक किसी भी दशा में न तो व्यय किया जाय और न ही पुनर्विनियोग व अन्य माध्यम् से अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में कोई व्ययभार/दायित्व सृजित किया जाय।

4– धनराशि विभागाध्यक्ष के निवर्तन पर रखने के उपरान्त भी आहरण–वितरण अधिकारियों के निवर्तन पर नहीं रखी जाती है, जिससे क्षेत्रीय स्तर पर व्यय हेतु धनराशि उपलब्ध नहीं होती है, अतः यह सुनिश्चित किया जाय कि विभागाध्यक्ष के निस्तारण पर

क्रमशः....2.....

जो धनराशि रखी गई है वह आहरण–वितरण अधिकारियों को तत्काल अवमुक्त कर दी जाय और फील्ड स्तर पर बजट उपलब्ध न होने जैसी स्थिति उत्पन्न न हो। विभागाध्यक्षों द्वारा आहरण–वितरण अधिकारियों तथा कोषाधिकारियों को अवमुक्त धनराशियों का विवरण संकलित कर निर्धारित प्रपत्र बी.एम.–17 पर शासन/वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जाय।

5– व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, उनमें व्यय करने के पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

6– सामान्यतः केन्द्रपोषित योजनाओं के राज्यांश की धनराशि केन्द्रांश प्राप्त होने के उपरान्त जारी की जायेगा। जिन केन्द्रीय योजनाओं हेतु सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त है अथवा केन्द्र सरकार की वचनबद्धता परिलक्षित होती है, ऐसी योजनाओं पर कार्य प्रारम्भ करने के लिए औचित्यपूर्ण प्रस्ताव तैयार कर शासन की सहमति हेतु उपलब्ध कराया जाय।

7– अनुदान के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि का शासन की बिना सहमति के किसी स्तर से किसी भी प्रकार के पुनर्विनियोग पर पूर्ण प्रतिबन्ध है तथा पुनर्विनियोजन का प्रस्ताव बजट मैनुअल के पैरा–151 के अन्तर्गत परीक्षण करने के उपरान्त ही शासन को उपलब्ध कराया जाय। स्पष्ट किया जाना है कि राजस्व पक्ष से पूँजी पक्ष तथा पूँजी पक्ष से राजस्व पक्ष में पुनर्विनियोजन प्रतिबन्धित है, अतः इस प्रकार के पुनर्विनियोग प्रस्ताव शासन को न उपलब्ध कराया जाय।

8– जैसा कि बजट मैनुअल पैरा–88 में इंगित किया गया है, नियंत्रक अधिकारी या विभागाध्यक्ष, जैसी भी स्थिति हो यह सुनिश्चित करने के उत्तरदायी होंगे कि वित्तीय स्वीकृतियों के समय व्यय के अनुश्रवण की नियमित व्यवस्था सुनिश्चित की जाय और यदि किसी मामले में सीमाधिक व्यय दृष्टिगोचर हो तो उसे तत्काल शासन के संज्ञान में लाया जाय तथा बी.एम.–13 पर नियमित रूप से शासन को प्रतिमाह विलम्बतम 10 तारीख तक पूर्व माह की सूचना उपलब्ध करायी जाय। बजट मैनुअल के विभिन्न प्रपत्रों के माध्यम् से भेजी जाने वाली सूचना समय से भेजा जाना सुनिश्चित करना विभाग का उत्तरदायित्व है, जिसका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

9– यह उल्लेखनीय है कि शासन के व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है। अतः व्यय करते समय वितव्ययिता के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इस सम्बन्ध में वेतनादि मदों के अतिरिक्त शेष मदों में

क्रमशः.....3.....

मितव्ययिता सुनिश्चित करने के लिए तत्काल शीर्षक/मदवार बचत की कार्ययोजना बना ली जाय तथा तद्नुसार विशेषकर आयोजनेत्तर पक्ष में बचत करने का वार्षिक लक्ष्य निर्धारित कर बचत सुनिश्चित किया जाय।

10– यह सुनिश्चित करने के लिए कि जो निर्माण कार्य आरम्भ किये जा चुके हैं वे यथाशीघ्र पूर्ण किये जा सके, प्रत्येक माह विभाग द्वारा स्वीकृत कार्य, आगणन की धनराशि, निर्गत वित्तीय स्वीकृति इत्यादि का विवरण संलग्न प्रपत्र–01 से 04 पर शासन को उपलब्ध कराया जाय।

11– विभिन्न मदों मे व्ययभार/देयता सृजित होने पर यथाशीघ्र धनराशि आहरित कर भुगतान की जायेगी एवं कोई भी भुगतान अनावश्यक लम्बित नही रखा जायेगा क्योंकि उससे मासिक आधार पर व्यय की भ्रामक सूचना परिलक्षित होने से अनुपूरक मांग के समय सही निर्णय लेने मे कठिनाई होती है।

12– निर्माण कार्यो के लागत व समय वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए कड़ी कार्यवाही व सघन अनुश्रवण किया जायेगा एवं इस हेतु बजट मैनुअल के प्रस्तर–211(d) का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

13– अनुदानों को विभागवार एवं विभागाध्यक्षवार तैयार करने के कारण एक ही लेखाशीर्षक अनेक अनुदानों के अन्तर्गत प्रदर्शित होता है, जिसके फलस्वरूप महालेखाकार के कार्यालय में व्यय को सही लेखाशीर्षक/अनुदान के अन्तर्गत पुस्तांकित करने में कठिनाई होती है और सुसंगत लेखाशीर्षक/अनुदान के अधीन त्रुटि रह जाने की सम्भावना बनी रहती है। इस हेतु यह आवश्यक है कि सभी वित्तीय स्वीकृतियॉ शासनादेश संख्या–बी–2–2337/97, दिनांक 21 नवम्बर, 1997 के प्रारूप किये जायें, उनमें स्पष्ट रूप से लेखाशीर्षक के साथ सम्बन्धित अनुदान संख्या का भी उल्लेख अवश्य किया जाये। बजट नियंत्रक अधिकारी बी.एम.–17 पर आवंटन सम्बन्धी विवरण तथा आवंटन आदेश हेतु निर्धारित प्रारूप पर आहरण–वितरण अधिकारियों को बजट आबंटन तथा जिस अधिकारी का नमूना हस्ताक्षर समस्त कोषागारों में परिचालित हो, के हस्ताक्षर से अनुदान के अधीन आयोजनागत एवं आयोजनेत्तर की धनराशियॉ पूर्व निर्गत शासनादेश के क्रम में जारी करेंगे, अन्यथा कोषागार द्वारा भुगतान नहीं किया जायेगा। जिसके लिये सम्बन्धित उत्तरदायी होंगे।

क्रमशः....4.....

14– यह आदेश वित्त विभाग उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या–209/XXVII(1)/2011 दिनांक 31 मार्च, 2011 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत निर्गत किया जा रहा है।

संलग्नकः–यथोपरि।

भवदीय,

(राजीव गुप्ता)
प्रमुख सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैवः–

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं तद्नुसार अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबेराय मोट्र्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड़ देहरादून।
2. निदेशक कोषागार, 25 लक्ष्मी रोड़ देहरादून।
3. समस्त जिलाधिकारी उत्तराखण्ड।
4. निदेशक राष्ट्रीय सूचना केन्द्र(एन.आई.सी.) सचिवालय परिसर देहरादून।
5. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी उत्तराखण्ड।
6. वित्त अनुभाग–5
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(जे. पी. जोशी)
संयुक्त सचिव

शासनादेश संख्याः–451/XX(1)/11–53ब./11 दिनांक 7 अप्रैल 2011 परिशिष्ठ

मुख्य लेखाशीर्षकः– 2055 पुलिस आयोजनेत्तर

अनुदान संख्याः–10

क्र.सं	लेखाशीर्षक	मानक मद	धनराशि रूपये हजार में	
			आयोजनागत	आयोजनेत्तर
1	2	3	4	5
1	001 निदेशन और प्रशासन 03 मुख्यालय	01 वेतन		78000
		02 मजदूरी		120
		03 मंहगाई भत्ता		46800
		06 अन्य भत्ते		8250
		09 विद्युत देय		1500
		10 जलकर/जल प्रभार		50
		योगः–		**134720**
2	003 शिक्षा और प्रशिक्षण 04 शिक्षा और प्रशिक्षण मुख्य	01 वेतन		13500
		02 मजदूरी		10
		03 मंहगाई भत्ता		8100
		06 अन्य भत्ते		1485
		09 विद्युत देय		100
		10 जलकर/जल प्रभार		100
		योगः–		**23295**
3	101 आपराधिक अन्वेषण और सतर्कता 03 अभिसूचना अधिष्ठान	01 वेतन		205000
		02 मजदूरी		20
		03 मंहगाई भत्ता		123000
		06 अन्य भत्ते		22550
		09 विद्युत देय		350
		10 जलकर/जल प्रभार		50
		17 किराया, उपशुल्क कर स्वामित्व		400
		योगः–		**351370**
4	101 आपराधिक अन्वेषण और सतर्कता 04 सुरक्षा व्यवस्था	01 वेतन		42500
		03 मंहगाई भत्ता		25500
		06 अन्य भत्ते		4675
		09 विद्युत देय		50
		योगः–		**72725**
5	101 आपराधिक अन्वेषण और सतर्कता 05 अपराधिक अन्वेषण	01 वेतन		19000
		03 मंहगाई भत्ता		11400
		06 अन्य भत्ते		2090
		09 विद्युत देय		75
		10 जलकर/जल प्रभार		10
		17 किराया, उपशुल्क कर स्वामित्व		75
		योगः–		**32650**

6	101 आपराधिक अन्वेषण और सतर्कता 06 भारत नेपाल सीमा पर अभिसूचना तंत्र का सुदृढ़ीकरण	01 वेतन		6000
		03 मंहगाई भत्ता		3600
		06 अन्य भत्ते		660
		योगः–		**10260**
7	104 विशेष पुलिस 03 राज्य शस्त्र कान्सटेबुलरी मुख्य	01 वेतन		645000
		02 मजदूरी		170
		03 मंहगाई भत्ता		387000
		06 अन्य भत्ते		70950
		09 विद्युत देय		3500
		17 किराया, उपशुल्क कर स्वामित्व		50
		योगः–		**1106670**
8	104 विशेष पुलिस 04 इण्डिया रिजर्व वाहिनी की स्थापना	01 वेतन		110000
		02 मजदूरी		50
		03 मंहगाई भत्ता		66000
		06 अन्य भत्ते		12100
		09 विद्युत देय		550
		योगः–		**188700**
9	109 जिला पुलिस 03 जिला पुलिस (मुख्य)	01 वेतन		1900000
		02 मजदूरी		2500
		03 मंहगाई भत्ता		1140000
		06 अन्य भत्ते		209000
		09 विद्युत देय		12000
		10 जलकर/जल प्रभार		2200
		17 किराया, उपशुल्क कर स्वामित्व		2200
		योगः–		**3267900**
10	109 जिला पुलिस 04 रेडियो अधिष्ठान	01 वेतन		149000
		02 मजदूरी		60
		03 मंहगाई भत्ता		89400
		06 अन्य भत्ते		16390
		09 विद्युत देय		400
		10 जलकर/जल प्रभार		100
		17 किराया, उपशुल्क कर स्वामित्व		50
		योगः–		**255400**
11	109 जिला पुलिस 05 मोटर परिवहन अधिष्ठान	01 वेतन		73000
		03 मंहगाई भत्ता		43800
		06 अन्य भत्ते		8030
		योगः–		**124830**
12	109 जिला पुलिस 07 घुड़सवार पुलिस इकाई	01 वेतन		8000
		02 मजदूरी		20
		03 मंहगाई भत्ता		4800
		06 अन्य भत्ते		880
		09 विद्युत देय		50
		10 जलकर/जल प्रभार		10
		योगः–		**13760**

13	109 जिला पुलिस 09 जल पुलिस	15 गाड़ियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल आदि की खरीद		50
		योगः–		**50**
14	110 ग्राम पुलिस 03 ग्राम पुलिस अधिष्ठान			
		01 वेतन		22000
		योगः–		**22000**
15	111 रेलवे पुलिस 03 मुख्य	01 वेतन		9000
		03 मंहगाई भत्ता		5400
		06 अन्य भत्ते		990
		09 विद्युत देय		80
		योगः–		**15470**
16	113 पुलिस कार्मिकों का कल्याण 04 चिकित्सालय व्यय 01 जिला पुलिस	01 वेतन		10000
		03 मंहगाई भत्ता		6000
		06 अन्य भत्ते		1100
		09 विद्युत देय		20
		योगः–		**17120**
17	116 न्यायालय विज्ञान 03 विधि विज्ञान प्रयोगशाला	01 वेतन		4000
		03 मंहगाई भत्ता		2400
		06 अन्य भत्ते		440
		09 विद्युत देय		70
		योगः–		**6910**
18	800 अन्य व्यय 04 अग्नि से संरक्षण एवं नियन्त्रण अधिष्ठान	01 वेतन		130000
		02 मजदूरी		100
		03 मंहगाई भत्ता		78000
		06 अन्य भत्ते		14080
		09 विद्युत देय		400
		10 जलकर/जल प्रभार		170
		17 किराया, उपशुल्क कर स्वामित्व		500
		योगः–		**223250**
19	800 अन्य व्यय 16 राज्य स्तरीय पुलिस शिकायत प्राधिकरण अधिष्ठान	01 वेतन		5000
		03 मंहगाई भत्ता		3000
		06 अन्य भत्ते		550
		09 विद्युत देय		70
		10 जलकर/जल प्रभार		25
		17 किराया, उपशुल्क कर स्वामित्व		370
		योगः–		**9015**
20	800 अन्य व्यय 17 एस.टी.एफ.	01 वेतन		5000
		03 मंहगाई भत्ता		3000
		06 अन्य भत्ते		550
		योगः–		**8550**
		कुल योगः–		**5884645**

(रूपये पॉच अरब अठ्ठासी करोड छियालीस लाख पैतालीस हजार मात्र)

(जे. पी. जोशी)
संयुक्त सचिव